

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :- 458025 / पटना, दिनांक :- 10/09/2025
सं०सं०-ग्रा०वि०-14(द०)दर०-05/2020

श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह (प्रसार पदाधिकारी, उद्योग एवं वाणिज्य), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) सम्प्रति- निलंबित के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-394 दिनांक-21.04.2024 द्वारा श्री सिंह के दिनांक-19.04.2020 को शराब का सेवन कर नशे में मुख्य सड़क पर हो हल्ला कर प्रशासनिक माहौल व शान्ति भंग करने से संबंधित गंभीर आरोप प्रतिवेदित करते हुए इन्हें निलंबित करने की अनुशंसा की गई।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रथम द्रष्टया मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा Bihar Epidemic Diseases, Covid-19 Regulation 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करने जैसे गंभीर लापरवाही एवं अवज्ञा से संबंधित होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या-461295 दिनांक-24.04.2020 द्वारा इन्हें अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-455/स्था० दिनांक-27.05.2021 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध सरकारी सेवक होते हुए सरकार द्वारा पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद दिनांक-19.04.2020 की रात्रि में शराब का सेवन करने एवं उक्त संदर्भ में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह दिनांक-31.05.2020 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के स्पष्टीकरण के अंश 'क' के प्रावधानानुसार श्री सिंह को उनके निलंबन की तिथि- 24.04.2020 से उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ मानते हुए कार्यालय आदेश संख्या-1509944 दिनांक-18.01.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अंतर्गत कार्यवाही में सम्परिवर्तित समझे जाने का निर्णय लिया गया।

विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी के दिनांक-18.10.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री अखिलेश्वर के विरुद्ध धारित आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार की सहमति के उपरांत विभागीय पत्रांक-3296082 दिनांक-24.10.2024 के द्वारा श्री सिंह से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। लिखित अभ्यावेदन अप्राप्त रहने पर पुनः उन्हें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लिखित अभ्यावेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। स्मारोपरांत भी श्री सिंह द्वारा विभाग में लिखित अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

4

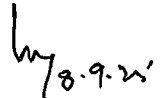
चूंकि श्री सिंह दिनांक-24.04.2020 से निलंबित हैं एवं इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2020 है। अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सिंह को उनके सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी०) के संगत प्रावधानों के तहत उनके द्वारा कृत कदाचार के प्रमाणित आरोप के लिए उनके पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपण का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिंह को दिनांक-31.05.2020 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनके पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

निलंबन अवधि के वेतन एवं भत्ते के संबंध में विभाग द्वारा अलग से निर्णय लिया जायेगा।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि कार्यालय आदेश की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

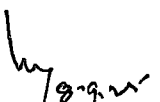

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 458035/ / पटना, दिनांक :- 10/09/2025
सं0सं0- ग्रा०वि०-14(द०)दर०-05/2020

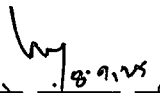
ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ उप विकास आयुक्त, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-03 एवं 06 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा) सम्प्रति-सेवानिवृत्त एवं निलंबित पत्राचार का पता- श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, रहियावा, ब्रह्मन टोली, सारण (छपरा) /आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 458035/ / पटना, दिनांक :- 10/09/2025
सं0सं0- ग्रा०वि०-14(द०)दर०-05/2020

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव